## आयकर समझौता आयोग

## न्याय कक्ष कार्यविधि

1. न्यायकक्ष में आवेदक, आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि, विभागीय प्रतिनिधि, निर्धारण अधिकारी, आयोग के अधिकारी तथा न्यायालय की अनुमति से न्यायकक्ष में उपस्थित किसी भी अन्य व्यक्ति को न्यायालय की शिष्टता बनाए रखनी होगी तथा न्यायालय में बेंच के प्रति शालीनता पूर्ण व्यवहार का हर समय ध्यान रखना होगा। न्यायालय को सम्बोधित करते समय अथवा आपत्ति करते समय वे खड़े हो जांए एंव न्यायालय की अनुमति के पश्चात ही बोलें।
2. न्याय कक्ष में प्रवेश से पहले सेल फोन को बंद कर दिया जाए अथवा साइलेन्ट मोड पर कर दिया जाए।
3. आवेदक प्राधिकृत प्रातिनिधि, विभागीय प्रतिनिधि तथा निर्धारण अधिकारी सर्वदा उनके उपनाम से ही सम्बोधित किये जायेंगे जब तक कि इससे भिन्न संबोधन की अनुमति न दी जाए। न्यायालय को 'सम्माननीय' अथवा 'यह न्यायालय' अथवा 'यह पीठ' अथवा 'महोदय' कहकर संबोधित किया जाए।
4. न्यायालय के प्रति सभी संबोधन अधिवक्ता की टेबल के पास से किए जाए अथवा ज्ञानतीठ(लेक्टर्न) से किए जाए। न्यायालय की अनुमति के बिना इससे भिन्न स्थान से नहीं बोला जाए।
5. आवेदक, प्राधिकृत प्रतिनिधि, विभागीय प्रतिनिधि तथा निर्धारण अधिकारी, न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपक्ष के अधिवक्ता, आयोग के अधिकारी अथवा न्यायपीठ के डेस्क लिपिक की तरफ नहीं जाएगें। सदस्यों के समक्ष विशिष्ट कागजात प्रस्तुत करना यदि बहुत ही आवश्यक हुआ तो ऐसा करने से पहले प्राधिकृत प्रतिनिधि तथा विभागीय प्रतिनिधि न्यायालय की अनुमति प्राप्त करेंगे।.
6. न्यायालय अथवा गवाह हेतु आशयित सभी कागजात 7 प्रतियों में होने चाहिए जिन्हें न्यायपीठ लिपिक को सोंपना चाहिए जो उचित पावती सूचना के पश्चात उन्हें अग्रेषित कर देगा।
7. आवेदक, प्राधिकृत प्रतिनिधि, विभागीय प्रतिनिधि अथवा निर्धारण अधिकारी को प्रतिपक्ष के प्रति तिरस्कार पूर्ण टिप्पणी करने और दुर्भावना प्रदर्शित करने अथवा उन्हें बढ़ावा देने से बचना चाहिए ।

8. आवेदक, प्राधिकृत प्रतिनिधि, विभागीय प्रतिनिधि एवं निर्धारण अधिकारी को किसी साक्ष्य अथवा तर्क के प्रति सम्मति अथवा असम्मति दर्शाने हेतु किसी भंगिमा, चेहरे की अभिव्यक्ति अथवा श्रव्य टिप्पणी का प्रयोग करने से बचना चाहिए।
9. आवेदक, प्राधिकृत प्रतिनिधि और निर्धारण अधिकारी बेंच द्वारा इंगित करने पर ही बोलेंगे । जब किसी मुद्दे पर बात करनी हो या जवाब देना हो तो खड़े होकर तथा बेंच की तरफ मुँह करके बेंच को सम्बोधित करेंगे । बैंच की अनुमति के बिना आपस में अथवा विरोधी पक्ष से वार्तलाप नहीं करेंगे और न ही आपस में किसी कागजात या साक्ष्य का आदान-प्रदान करेंगें।
10. जब न्यायपीठ द्वारा किसी एक पार्टी से किसी मुद्दे पर प्रश्न किया जाये तो दूसरे व्यक्ति मौन रहेंगे, तथा प्रथम पक्ष के उत्तर के दौरान दखल नहीं देंगे । जब एक व्यक्ति अपनी बात पूरी कर ले. तब ही दूसरा व्यक्ति, बेंच की अनुमति से बोल सकेगा।
11. जब न्यायालय में किसी मामले पर सुनवाई चल रही हो तो न्यायालय में प्रवेश करना अथवा न्यायालय से बाहर आना टाल देना चाहिए। यदि अत्यंत आवश्यक हो तो आना - जाना शालीनता पूर्वक, बिना कोई व्यवधान उपस्थित किए विनीत प्रकार से करना चाहिए।
12. असभ्य,, निदांपूर्ण अथवा दुर्वचन युक्त भाषा का न्यायालय में प्रयोग वर्जित है।
13. न्यायालय में खाने का सामान, च्युइंग गम, गुटखा, पान, सिगरेट एवं पेय पदार्थ (पानी के अलावा) लाना वर्जित है।
14. अग्नेयास्त्र, धारदार चाकू एवं किसी भी प्रकार के शस्त्र न्यायालय के अन्दर लाना वर्जित है।
15. आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले प्राधिकृत प्रतिनिधि, विभागीय प्रतिनिधि, आयोग के अधिकारी तथा अन्य व्यक्तियो के लिए वेशभूषा के नियम इस प्रकार रहेंगें -

    (1) अधिवक्ता - जैसा कि भारत के विधिज्ञ परिषद (बार काउंसिल) के नियमों के अधीन निर्धारित है।
    (2) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट - भारतीय चार्टड एकाउन्टेन्ट संस्थान परिषद द्वारा यथा संस्तुत
    (3) आवेदक के अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि (आवेदक के रिश्तेदारों तथा स्थाई कर्मचारियों के अतिरिक्त ) विभागीय प्रतिनिधि तथा आयोग के अधिकारी

        (क) पुरूष - टाई के साथ सूट, टाई के साथ कोट पैंट, पैंट के साथ बटन बंद कोट अथवा राष्ट्रीय वेश - भूषा यानि धोती या चूड़ीदार पजामा के साथ लम्बा बटन बंद कोट। कोट के लिए गहरे रंग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(ख) स्त्री- कोट गहरे रंग का होना चाहिए, खासकर सफेद के ऊपर काला या सादे रंग की साड़ी या अन्य औपचारिक कपड़ो के साथ ।

(4) आयोग के समक्ष उपस्थित होने वाले अन्य सभी व्यक्तित उचित प्रकार से कपड़े पहने होने चाहिए।

(5) न्यायकक्ष में सिर्फ औपचारिक जूते/ सैन्डल पहनने के अनुमति है। अनौपचारिक जूते/ सैन्डल पहनने की अनुमति नहीं है।

16. यदि कोई व्यक्ति न्यायकक्ष की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो न्यायालय उस व्यक्ति को न्यायकक्ष छोड़ने का निर्दश दे सकता है।

सचिव
प्रधान न्यायपीठ
आयकर समझौता आयोग
नई दिल्ली

दिनांक